

पूर्णियाँ विश्वविद्यालय पूर्णियाँ, बिहार
समाज विज्ञान संकाय (इतिहास विभाग)
कार्य विवरण : 01
प्रथम प्रगति रिपोर्ट

शोध छात्र का नाम	:	प्रभात कुमार सिंह
निबंधन संख्या	:	PHDPU20HIS02
पंजीकरण की प्रभावी तिथि	:	18/03/2020
पर्यवेक्षक का नाम	:	डॉ० हरेन्द्र कुमार सिंह
शोध का विषय	:	स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पूर्णियाँ जिला का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का अध्ययन (1947-2020)

समयावधि : फरवरी 2021 से अप्रैल 2021

इस अवधि में मैंने शोध कार्य के प्रथम अध्याय 'विषय प्रवेश' को आरंभ किया।

पूर्णियाँ जिला बिहार राज्य में पड़ता है पूर्णियाँ जिला का क्षेत्रफल 3202.31 वर्ग कि.मी. है। इस जिला के उत्तर में अररिया जिला है, दक्षिण में कटिहार और भागलपुर है, पश्चिम में मधेपुरा और सहरसा जिला है और पूर्व में पं. बंगाल का दिनाजपुर जिला और बिहार का किशनगंज जिला है। यह जिला 4 अनुमंडलों में विभाजित है इस जिला में 14 ब्लॉक है और 251 ग्राम पंचायत है एवं 1296 गाँवे हैं। कोशी और महानन्दा नदी एवं इसकी सहायक नदियाँ इस जिला में सिंचाई की मुख्य साधन हैं। पूर्णियाँ जिले में चार अनुमण्डल हैं। इनके नाम है पूर्णियाँ, बनमनखी, बायसी, धमदाहा। जिले में चौदह ब्लॉक है जिनके नाम है पूर्णियाँ पूर्व, कृत्यानंद नगर, बनमनखी, कसबा, अमौर, बायसी, बैसा, धमदाहा, बरहरा कोठी, रुपौली, भवानीपुर, डगरूआ, जलालगढ़, श्रीनगर।

2011 के जनगणना के अनुसार क्षेत्र के अबादी 3,673,127 है। जनसंख्या घनत्व 1,014 प्रति 2,630 वर्ग किलोमीटर है।

राज्य के 47.53 प्रतिशत (पुरुष 60.32% एवं महिला 33.53%) साक्षरता दर के वनिस्पत पूर्णियाँ जिला का कुल साक्षरता दर 35.51% है (पुरुष 46.16% एवं महिला 35.57%) जो कि राज्य साक्षरता दर से कम है।

जिला में बड़ी मुस्लिम आबादी है जिसमें ज्यादातर कृषक या कृषक मजदूर है। मुस्लिम आबादी में साक्षरता दर 25.9% है जो कि महिलाओं में और कम 15.6% है।

जिला में कार्यशील जनसंख्या दर 38.89 प्रतिशत है जो कि राज्य जनसंख्या दर 34.7% से ज्यादा है। व्यवसाय के अनुसार अगर मजदूर वितरण को देखा जाए तो कृषि क्षेत्र हावी है क्योंकि कुल श्रम शक्ति का 66.3% कृषिक श्रमिक हैं जो राज्य औसत दर 51 प्रतिशत से ज्यादा है। 2008 में पूर्णियाँ जिले में एक सर्वेक्षण किया गया। यह पाया गया कि राष्ट्रीय स्तर के 8 सूचकांकों में से 7 सूचकांक में यह जिला पीछे पाया गया। और साथ ही दो राष्ट्रीय सूचकांक जो कि स्वास्थ्य संबंधित थे उनमें भी यह जिला पीछे पाया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य संबंधी दो सूचकांक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार की प्राथमिकता में नहीं थे क्योंकि मंत्रालय ने 8 सूचकांकों को ही अल्पसंख्यक केन्द्रीय जिला के निर्धारण हेतु मापदंड माना था किन्तु ये मानव विकास सूचकांक के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और बहुआयामी विकास योजनाओं हेतु इनका विशेष महत्व है। 2008 के राष्ट्र सूचकांकों एवं जिला सूचकांकों में अन्तर है। जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर 67.97 प्रतिशत घरों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध हो चुका है वहाँ केवल 6.63% ग्रामीण घरेलुओं को यह सुविधा मिल पायी है उनमें 10.02% हिन्दू घरों के निवासी हैं और 5.03% मुस्लिम। "राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना" के तहत जो कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है 2009 ई. तक शत प्रतिशत ग्रामीण घरों तक बिजली पहुँचने का लक्ष्य था जो कि अभी तक अधुरा ही पड़ा हुआ है।

पक्के घरों की संख्या की दृष्टिकोण से भी भारी अन्तर देखने को मिलता है। राष्ट्रीय औसत 59.40% की तुलना में जिला के ग्रामीण स्तर पर 13.42% लोग ही पक्के मकानों में रहते हैं। एक बड़ी आबादी करीब 82% ग्रामीण जिनमें हिन्दू और मुस्लिम दोनों शामिल है वे झोपड़ियों में एवं कच्चे मकानों में ही रहते हैं। इन्दिरा आवास के तहत बी.पी.एल. परिवारों हेतु घरों की जो व्यवस्था की गई आँकड़ों को देखते हुए काफी असंतोषजनक कही जा सकती है।

घरों में शौचालय की व्यवस्था के राष्ट्रीय औसत 39.20% के वनिस्पत जिला में ग्रामीण क्षेत्रों में इस व्यवस्था का प्रतिशत 3.11 है। अर्थात् 93% हिन्दू और 98% मुस्लिम ग्रामीण आबादी आज भी खुले स्थानों को ही शौचालय हेतु प्रयोग करते हैं।

पूर्ण शौचालय अभियान के तहत 2012 ई. तक सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया था जो कि पूरा नहीं हो सका है। इसके लिए बहुस्तरीय परियोजनाओं की आवश्यकता है यह देखते हुए कि पूर्णियाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और शौच हेतु खुले स्थानों का प्रयोग अनेक बीमारियों एवं संक्रमण का कारण बन सकता है खासकर जब क्षेत्र में बाढ़ आया हो।

साक्षरता दर के दृष्टिकोण से जहाँ राष्ट्रीय कुल साक्षरता दर 67.30% एवं महिलाओं में साक्षरता दर 57.10% है वहीं जिला में कुल साक्षरता दर 44.15% एवं महिलाओं में 33.93% है।

रोजगार अवसर दर जिला में हिन्दुओं के बीच 53.8% है वहीं मुस्लिमों के बीच 51.1% है किन्तु इस दिशा में दोनों ही वर्गों में भारी लैंगिक अन्तर देखने को मिलता है। हिन्दु महिलाओं में यह औसत 25.98% है वहीं मुस्लिम महिलाओं में 14.7% ही है।

Hasendra Kumar Singh
शोध निर्देशक का हस्ताक्षर

प्रभात कुमार सिंह
शोधार्थी का हस्ताक्षर

पूर्णियाँ विश्वविद्यालय पूर्णियाँ, बिहार
समाज विज्ञान संकाय (इतिहास विभाग)
कार्य विवरण : 02
द्वितीय प्रगति रिपोर्ट

शोध छात्र का नाम	:	प्रभात. कुमार सिंह
निबंधन संख्या	:	PHDPU20HIS02
पंजीकरण की प्रभावी तिथि	:	18/03/2020
पर्यवेक्षक का नाम	:	डॉ० हरेन्द्र कुमार सिंह
शोध का विषय	:	स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पूर्णियाँ जिला का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का अध्ययन (1947-2020)

समयावधि : मई 2021 से अगस्त 2021

इस अवधि में मैंने शोध कार्य के द्वितीय अध्याय 'पूर्णियाँ जिला का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिचय' को आरंभ किया।

किसी भी क्षेत्र की उन्नति या अवनति वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। पूर्णियाँ जिला जिसमें 14 प्रखण्ड सम्मिलित है। बिहार सरकार की अधिसूचना क्र. 16 डीच - यू। 12-11-709/04 पटना दिनांक 01-01-09 के अनुसार 14 जनवरी 1990 को गठित हुआ। पूर्णियाँ जिला में शामिल अररिया अनुमण्डल तथा किशनगंज अनुमण्डल को अलग जिला बना दिया गया। नये पूर्णियाँ जिला में चार अनुमण्डल को शामिल किया गया। नये पूर्णियाँ जिला में चार अनुमण्डल 1. सदर पूर्णियाँ, 2. धमदाहा, 3. बनमनखी, 4. बायसी है। इसमें 14 प्रखण्ड है :-

(1) पूर्णियाँ पूर्व (2) अमौर (3) बायसी (4) बैसा (5) कसबा (6) के. नगर (7) बनमनखी (8) धमदाहा (9) भवानीपुर (10) बड़हरा कोठी (11) रूपौली (12) श्रीनगर (13) जलालगढ़ (14) डगरूआ। पूर्णियाँ जिला की अब वर्तमान सीमा उत्तर में अररिया पूर्व में किशनगंज दक्षिण में कटिहार और पश्चिम में मधेपुरा और सहरसा जिले हैं।

पूर्णियाँ जिला 25⁰ 24' और 26⁰ 7' उत्तरी अक्षांश और 86⁰ 59' और 88⁰ 53' पश्चिम देशान्तर के मध्य स्थित है। इस जिले का क्षेत्रफल 3202.2 वर्ग किलोमीटर है।

यह बिहार की राजधानी पटना से लगभग 300 कि. मी. पूर्वी भाग में अवस्थित है। पूर्णियाँ जिला के विभाजन के कारण यहाँ का क्षेत्रफल धीरे-धीरे कम होते गया। 1981 के जनगणना के अनुसार इस जिले का क्षेत्रफल 7943 वर्ग कि. मी. था, जो बिहार राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 4.6 प्रतिशत था। अररिया एवं किशनगंज जिले के अलग होने के बाद इसका क्षेत्रफल घटकर काफी कम हो गया है। निम्न तालिका³ से इनके क्षेत्रफल को दर्शाया गया है :-

जिले का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी. में)
पूर्णियाँ	3229
अररिया	2830
किशनगंज	1884
कुल -	7943

प्राकृतिक विभाजन :- प्राकृतिक गुणों के आधार पर इसे तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- (1) जिला का पश्चिमी भाग जो पुरानी कोशी के शय्या कहा जाता है और अब कोशी कमाण्ड के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी बालू से भरी है।
- (2) इसके दक्षिण भाग में गंगा नदी बहती है तथा पूर्व भाग में महानन्दा बहती है। इस भाग की जमीन काफी उपजाऊ तथा गहरी भी है।
- (3) उत्तरी भाग जो नेपाल की सीमा से जुड़ा है; समजल भूमि है।

मिट्टी (Soil) :-

मिट्टी की संरचना से क्षेत्र की आर्थिक संरचना प्रभावित होती है। मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी से प्रारंभ होता है। पूर्णियाँ जिला की मिट्टी एक प्रकार की नहीं है। प्रत्येक भाग की मिट्टी अलग-अलग किस्म की है। जिले के पूर्वी एवं उत्तरी भाग की मिट्टी लोमी है। यहाँ घर बनाने के लिए कलई मिट्टी का अभाव है। मिट्टी मात्र 3 से 4 इंच की गहराई तक है जो घास की जड़ों से दबी है। इस गहराई के नीचे मोटी बालू बिना किसी मिश्रण के हर जगह पायी जाती है। करीब 200 वर्ष पहले यह भाग कोशी में था। जब कोशी फारबिसगंज पूर्णियाँ होकर बहा करती थी। पूर्णियाँ जिला की मिट्टी विशेष उपजाऊ नहीं है। बलुआही मिट्टी अधिक है। विशेषकर अररिया, जलालगढ़ तथा रानीगंज का क्षेत्र कम उपजाऊ है। परन्तु दक्षिणी भाग जो

गंगा नदी एवं पूर्वी भाग जो महानन्दा नदी के किनारे का क्षेत्र है वह काफी उपजाऊ है। यहाँ की मिट्टी को तीन भागों में बाँटा गया है :-

- (1) कछारी मिट्टी।
- (2) दोमट मिट्टी।
- (3) बलुआही मिट्टी।

उत्पादकता के दृष्टिकोण से यहाँ की मिट्टी मध्यम श्रेणी में आती है। मात्र महानन्दा के किनारे की जमीन अधिक उपजाऊ है।

Harindra Kumar Singh
शोध निर्देशक का हस्ताक्षर

प्रभात कुमार सिंह
शोधार्थी का हस्ताक्षर

पूर्णियाँ विश्वविद्यालय पूर्णियाँ, बिहार
समाज विज्ञान संकाय (इतिहास विभाग)
कार्य विवरण : 03
तृतीय प्रगति रिपोर्ट

शोध छात्र का नाम	:	प्रभात कुमार सिंह
निबंधन संख्या	:	PHDPU20HIS02
पंजीकरण की प्रभावी तिथि	:	18/03/2020
पर्यवेक्षक का नाम	:	डॉ० हरेन्द्र कुमार सिंह
शोध का विषय	:	स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पूर्णियाँ जिला का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का अध्ययन (1947-2020)

समयावधि : सितम्बर 2021 से दिसम्बर 2021

इस अवधि में मैंने शोध कार्य के तृतीय अध्याय 'स्वतंत्रता के पश्चात् पूर्णियाँ जिला के आर्थिक जीवन में परिवर्तन के तत्व' को आरंभ किया।

बिहार की राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि में पूर्णियाँ जिला का आजादी के पूर्व से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कृषि प्रधान यह क्षेत्र आजादी के पूर्व से ही सहकारिता आंदोलन का भी एक प्रभावशाली हिस्सा रहा है एवं कृषि क्षेत्र से जुड़ी अनेक घटनाओं में इसकी अग्रणी भूमिका रही है।¹

अत्यंत उपजाऊ जमीन खनिज एवं वन संसाधनों से भरपूर, उद्योगों की बढ़ती संख्या, श्रम शक्ति, यातायात, व्यवसाय इत्यादि के बावजूद भी बिहार देश के सर्वाधिक पिछड़े हुए एवं गरीब क्षेत्र के रूप में माना जाता था।² तमाम अवसरों के बीच व्यापक गरीबी बिहार की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी।

कृषि राज्य की जनसंख्या की मुख्य पेशा थी। 1904 से 1947 ई० तक के कार्यकाल में बिहार में 77.8 प्रतिशत लोग कृषि पर ही निर्भर थे। ज्यादातर लोग गाँवों में ही निवास करते थे। 1941 ई० के जनगणना के अनुसार बिहार में 68,864 गाँवों की तुलना में 88 शहर थे। किन्तु इनमें से केवल तीन शहर पटना (1,75,706), गया

(1,05,223) तथा जमशेदपुर (1,47,411) की ही आबादी एक लाख से ऊपर थी।³ अन्य शहर दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर और रांची की आबादी 50,000 से ज्यादा थी।⁴

जमीन पर जनसंख्या का भार बढ़ता ही जा रहा था। 1891 ई० से 1937 ई० तक राज्य की जनसंख्या 28 मिलियन से बढ़कर 36 मिलियन हो गई। किन्तु कृषियोग्य भूमि 24,831 हजार एकड़ से घटकर जो कि 1892-93 में थी 20,248 एकड़ रह गई। 1934-35 ई० के वर्षों में जहाँ जनसंख्या में 4.2 मिलियन की वृद्धि हुई वहीं खेती की जमीन में 4.5 मिलियन एकड़ की कमी थी। बिहार बेरोजगारी समिति ने निम्नलिखित औसत ह्रास को प्रकाश में लाया था-

जिला	सर्वेक्षण का वर्ष	भूखंड का आकार	सर्वे वर्ष में कब्जा	भूखंड का आकार	1931 में कब्जा
1. मुजफ्फरपुर	1892-99	1.97	.44	1.82	.41
2. दरभंगा	1896-03	2.00	.40	1.85	.37
3. सारण	1915-21	1.41	.28	1.33	.26
4. चम्पारण	1892-99	5.19	.74	4.33	.54
5. भागलपुर	1902-10	5.00	.88	4.67	.64
6. दक्षिणी मुंगेर	1905-12	4.80	.73	4.57	.70
7. उत्तरी मुंगेर	1905-07	2.90	.70	2.76	.67
8. पूर्णियाँ	1901-08	4.70	.81	4.02	.69
9. पटना	1901-04	1.62	.37	1.41	.32
10. गया	1911-18	3.36	.50	3.24	.45

बिहार के कृषि निदेशक ने 1935 ई० में यह आँकलन किया कि 15 एकड़ जमीन का भू-स्वामी, 30 रूपए की आय एक शिक्षित मध्यवर्गीय किसान वर्ग के रूप में प्राप्त करता था। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बिहार के ज्यादातर किसान गरीबी रेखा से नीचे की ही जीवन बसर करते थे।⁵

बिहार देश के गरीबतम राज्यों में था इसकी पुष्टि हमें आयकर भुगतान, प्रति व्यक्ति म्यूनिसिपल टैक्स और बचत एवं ऋणों के स्वरूप को देखकर हो जाती है। बिहार में आयकर दाताओं की संख्या (2000 रूपया से 4999 रूपए) तक की कुल संख्या 9085 थी जबकि बम्बई में यह संख्या 38,089 थी, 26,624 बंगाल में थी, 18,079 मद्रास में थी तथा 16,744 पंजाब में थी। (50,000 रूपए से 99,999 रूपए) तक की श्रेणी में बिहार में आयकर दाताओं की संख्या मात्रा 66 थी जबकि यह बम्बई में 409, मद्रास में 260, बंगाल में 251, पंजाब में 96 तथा संयुक्त प्रांत में 66 थी। एक लाख और उससे उपर की श्रेणी के आयकरदाता बिहार में 31 थे जबकि बम्बई में 244, मद्रास में 97, बंगाल में 110, संयुक्त प्रांत में 61 तथा पंजाब में 38। प्रति व्यक्ति म्यूनिसिपल टैक्स बिहार में रु. 1-14-7 रूपए थी जबकि मद्रास में रु0 1-15-11 (मद्रास शहर को छोड़कर) बम्बई में रु. 5-10-45 (बम्बई शहर को छोड़कर), संयुक्त प्रांत में रूपया 10-2 असम में रूपया 4-10 और उत्तरी पश्चिमी राज्यों में रूपया 5-0-1 थी। यह आश्चर्य का विषय नहीं कि बिहार में नागरिक असुविधाएँ भारत के सभी राज्यों से ज्यादा तंगहाल स्थिति में थी।⁶

बिहार के लोगों की गरीबी डाक बचत बैंकों, डाक नगद सर्टिफिकेटों और सहाकारिता बैंकों में बचत की खराब स्थिति से भी स्पष्ट होती है।⁷

निम्नलिखित तालिका से बिहार के लोगों की दयनीय स्थिति का पता चलता है⁸ :-

	राज्य	डाक बचत बैंक जमा 1931 में	डाक नगद प्रमाण पत्र 1931 में	कुल साझा पूँजी जमा साधन एवं अन्य कोपरेटिव राशियाँ 1931 में
	1	2	3	4
1.	बंगाल एवं असम	900	169	15,62,54,17,804
2.	संयुक्त प्रांत	590	153	22,278
3.	बम्बई	567	279	1,39,072
4.	पंजाब एवं एन0डब्लू0एफ0पी0	677	263	1,85,729
5.	मद्रास	256	67	1,80,988

6.	बिहार एवं उड़ीसा	256	39	58,891 ¹¹
----	------------------	-----	----	----------------------

उड़ीसा और बिहार के राजकीय बैंक जाँच समिति के आकलन से यह सामने आता है कि मूल बिहार की 72.5 प्रतिशत आबादी और छोटानागपुर की 81 प्रतिशत आबादी ऋणग्रस्त थी। औसत ऋणग्रस्तता बिहार में प्रति घरों पर 257 रू0 से 307 रूपया थी और छोटानागपुर की 74 रूपए से 110 रूपए थी।⁹

संदर्भ

1. पूर्णियाँ जिला के ढाँचे में परिवर्तन एवं कृषि विकास –डॉ0 सिकन्दर प्रसाद यादव।
2. बिहार के पूर्णियाँ जिला में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के आर्थिक पहलु एक अध्ययन – डॉ. रामानन्द साह
3. बखरू, एच. के (1999) हर्बस दैडहील, बोरियन्ट पेपर बैक्स, नई दिल्ली।

Harendra Kumar Singh
शोध निर्देशक का हस्ताक्षर

प्रभात कुमार सिंह
शोधार्थी का हस्ताक्षर

पूरुणियाँ विश्वविद्यालय पूरुणियाँ, बिहार
समाज विज्ञान संकाय (इतिहास विभाग)
कार्य विवरण : 04
चतुर्थ प्रगति रिपोर्ट

शोध छात्र का नाम	:	प्रभात कुमार सिंह
निबंधन संख्या	:	PHDPU20HIS02
पंजीकरण की प्रभावी तिथि	:	18/03/2020
पर्यवेक्षक का नाम	:	डॉ० हरेन्द्र कुमार सिंह
शोध का विषय	:	स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पूरुणियाँ जिला का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का अध्ययन (1947-2020)

समयावधि : जनवरी 2022 से मार्च 2022

इस अवधि में मैंने शोध कार्य के चतुर्थ अध्याय 'आर्थिक परिवर्तन का समाज पर प्रभाव' को आरंभ किया।

बिहार का पूरुणियाँ जिला भी ब्रिटिश शासन के कृषि संबंधी दोषपूर्ण नीति से अछूता नहीं रहा। यही कारण है कि पूरुणियाँ कृषि प्रधान जिला होते हुए भी कृषि आधारित उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हो सका था। पूरुणियाँ जिला का मलबरी सिल्क विश्व में प्रसिद्ध है, फिर भी इसका पूर्ण विकास नहीं हुआ। यहाँ की कृषि व्यवस्था पहले से ही अत्यन्त पिछड़ी अवस्था में थी। यहाँ सड़क, बिजली, पानी, ग्रामीण इलाकों में रेलवे का विकास न होने के बराबर हुई थी। कच्चा माल रखने की व्यवस्था नहीं थी। किसानों को वित्त व्यवस्था का भी कोई प्रबन्ध सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। किसान गैर परंपरागत श्रोतों से ऋण लेते थे। यहाँ के किसान ऋणों के जाल में फँस चुके थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया। लगान वसूलना प्रधान लक्ष्य था। पूरुणियाँ जिला के किसान जमींदारी व्यवस्था के अधीन थे। इस प्रकार की स्थिति बहुत दयनीय थी।

तालिका-1

Name of the crop	Area in Acres	Percentage to total Cultivated Area
Price	1736932	75
Wheat	46318	26
Other food grains	46318	2.6
Oil seeds	25450	11
Indigo	25159	1.08
Fibres	69477	3
Tobaco	69477	3

1870-71 में 2,15,910 Acres में कृषि कार्य होता था। जिसमें कुल कृषि योग्य भूमि 75% धन की खेती होती थीं।

प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) के बाद प्रथम चावल मिल 1920-21 कटिहार में खोला गया था। उसके बाद तीन चाय बगान किशनगंज में खोला गया था। 1924-25 के दौरान कई जूट मिल प्रारंभ किया गया था। छोटा सा चीनी मिल किशनगंज के इस्लामपुर में एवं बनमनखी पूर्णियाँ में खोला गया था। 1810 ई. में Indigo का 60 कारखाना स्थापित हो चुका था। इसमें 1700 लोगों को काम मिला हुआ था। 1870-71 में 25,159 एकड़ में Indigo का खेती होता था। बाद में चलकर इसमें ह्रास होने लगा। 1862 में मात्रा 30 Indigo कारखाना ही बच पाया। इस प्रकार 1904 के बाद इसमें काफी ह्रास होने लगा। इसके साथ ही साथ रेशम उद्योग, काफी पुराना उद्योग था।

पूर्णियाँ जिले में 3.12 लाख हेक्टेयर भूमि है जिसमें 23 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। इस प्रकार जिले में 74 प्रतिशत भूमि का क्षेत्र कृषि योग्य है। इसे एक तालिका के द्वारा स्पष्ट किया गया है :-

तालिका-2

(भूमि का माप वर्ग हेक्टेयर में है)

क्र० सं०	प्रखण्ड का नाम	कुल भूमि	कृषि योग्य भूमि	सिंचित भूमि	गैर कृषि योग्य भूमि	कृषि योग्य गैर सिंचित भूमि
1.	पूर्णिमा पूर्व	21278.10	12747.00	4249.00	8531.1	8496
2.	कसबा	15305.64	7373.00	4437.00	7932.64	2935.97
3.	के० नगर	29241.00	20537.96	7191.00	8703.04	13346.86
4.	श्री नगर	13450.17	11483.43	4087.68	1966.74	7395.75
5.	जलालगढ़	11237.16	7771.12	3220.60	3466.04	4550.52
6.	बनमनखी	34868.75	27361.00	15523.00	7507.75	11838
7.	अमौर	24505.33	20419.19	8760	4086.14	11659.19
8.	बैसा	20732.15	17036.66	4520	3695.49	12516.66
9.	बायसी	24420.10	11609.04	5224.05	12811.06	6384.99
10.	डगरुआ	17035.07	15003.00	80	2032.07	14923.00
11.	धमदाहा	36253.66	31832.48	18017.93	4421.18	13814.55
12.	रूपौली	24835.74	17121.00	523100	7747.14	11890
13.	भवानीपुर	16064.35	11555.74	3220.00	4508.61	8335.74
14.	बरहरा कोठी	22971.28	17186.7	8100.00	3784.58	11086.7
		312198.5	231037.32	91861.39	81161.16	139175.93

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पूर्णियाँ जिले के कुल भूमि का 74 प्रतिशत भूमि खेती योग्य है, जबकि खेती योग्य भूमि का सिर्फ 40 प्रतिशत भूमि ही संचित है। इस जिले में दो नदियाँ कोशी और महानन्दा बहती है। यह दोनों नदियाँ सालों भर बहती है। इन दोनों नदियों से नहर निकाल कुछ हद तक भूमि को संचित करने का प्रयास किया गया है।

पूर्णियाँ जिले में भी 90% लोग कृषक हैं, जिसमें से 70% लोगों के पास कृषि जोत के लिए लगभग 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। और वे लोग कुल जमीन का करीब 35% भाग पर खेती करते हैं। 25% कृषकों के पास 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। प्रखण्ड में कृषकों, लघु कृषक, सीमान्त कृषक की संख्या को देख कर यह अनुमान लगाया जा सकता है, यहाँ भी भूमि का उपविभाजन तथा अपखण्डण कम नहीं है।

संदर्भ

1. Azad, R. N. - Integrated rural development 'in backward Are A Development, problems of prospects, edited by Nanjubdappa, D. M. & Sibha, R.K. Sterling publishers Pvt. Ltd. P-15
2. Choudhary P.C. Roy-Bihar District gazatiar Purnea District Purnea by Superintendent Secretariat press, Bihar Patna
3. D. Brigut Singh - Ibtergrated Development of Rural Economy. Yojana, Vol, 28/11 16th July, 1984, p-16

Harendra Kumar Singh

शोध निर्देशक का हस्ताक्षर

प्रभात कुमार सिंह

शोधार्थी का हस्ताक्षर

पूर्णियाँ विश्वविद्यालय पूर्णियाँ, बिहार
समाज विज्ञान संकाय (इतिहास विभाग)
कार्य विवरण : 05
पंचम् प्रगति रिपोर्ट

शोध छात्रा का नाम	:	प्रभात कुमार सिंह
निबंधन संख्या	:	PHDPU20HIS02
पंजीकरण की प्रभावी तिथि	:	18/03/2020
पर्यवेक्षक का नाम	:	डॉ० हरेन्द्र कुमार सिंह
शोध का विषय	:	स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पूर्णियाँ जिला का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का अध्ययन (1947-2020)

समयावधि : अप्रैल 2022 से जून 2022

इस अवधि में मैंने शोध कार्य के पंचम् अध्याय 'स्वतंत्रता के पश्चात् पूर्णियाँ जिला के सामाजिक जीवन में परिवर्तन के तत्व' को आरंभ किया।

पूर्णियाँ जिला का इतिहास अति प्राचीन है। यहाँ कई राजाओं महाराजाओं का शासन रहा है। महानन्दा नदी के पश्चिम अंग राज्य तथा पूर्वी भाग पोंड्रस के अधीन था। लेकिन छठी शताब्दी के बाद दोनों भाग (पूर्वी तथा पश्चिम) मगध राज्य के अन्तर्गत आ गया नौवीं शताब्दी से 12 वीं शताब्दी तक यह बंगाल के राजा पाल और सेन के अधीन आ गया।

13वीं शताब्दी के आरंभ में यह मुस्लिम शासन के अन्तर्गत आ गया। 1770 ई. में इसे ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन कर लिया यहाँ का प्रथम ब्रिटिश कलक्टर डॉकरेल था। 1857 ई. में यह जिला कलकता रेवेन्यू बोर्ड के अन्तर्गत था। इसके बाद 1893 ई. में भागलपुर डिवीजन में मिला दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1956 ई. में बंगाल एवं बिहार भू-भाग स्थानांतरण अधिनियम के तहत किशनगंज का कुछ भाग बंगाल को दे दिया गया। कोशी प्रमंडल बनने के बाद यह जिला कोशी प्रमंडल में आ गया। जिसका मुख्यालय सहरसा रखा गया। परन्तु बाद में पूर्णियाँ प्रमंडल स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया तथा इसका मुख्यालय भी पूर्णियाँ हो गया। जेम्स ग्रांट ने पूर्णियाँ का वर्णन करते हुए कहा-पूर्णियाँ एक सुसिंचित, समतल कृषि योग्य भूमि है। जहाँ

सम्पन्न गेहूँ के साथ घरेलू उपयोग के लिए अन्य सभी फसलों का उत्पादन होता था विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भी इस जिला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अफीम, शोरा, देवदार के मस्तुल तथा इमारती लकड़ियों का व्यापार होता था।'

इस प्रकार पूर्णियाँ अति प्राचीन काल से आर्थिक विकास और राजस्व प्राप्ति का मुख्य श्रोत रहा है। 1722 ई. तक पूर्णियाँ के नवाब सैफ खाँ ने भी अपने "अब बावो" उगाही की लेकिन भूमि की क्षमता को बनाये रखने में भी जोर दिया।

सैफ खाँ की शासनावधि में पूर्णियाँ की आबादी विरल थी, दूसरों जिलों से बुलाकर लोगों को बसाया गया था, जिससे कृषि बुरी हालत में थी, एक बहुमूल्य भू-सम्पत्ति में परिवर्तन हो गया।

इतिहासकार गुलाम हुसैन का कहना है कि पूर्णियाँ जिला पर सैयद अहमद खाँ ने भी शासन किया। लेकिन खाँ साहब ने अन्य शासकों की तरह प्रजा के कल्याण पर विशेष ध्यान दिये थे। अमीर-उमरा और कृषक दोनों ही उनकी सरकार से अत्यधिक प्रसन्न थे। परन्तु 1757 ई. के प्लासी युद्ध के बाद पूर्णियाँ आर्थिक दृष्टि से पिछड़ने लगा। अंग्रेज शासक प्राकृतिक संसाधनों को लूटने-खसोटने लगे। लूटने खसोटने का क्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक चलता रहा। स्वतंत्रता प्राप्त होते ही यह जिला लूट खसोट के कारण अस्थिर पंजर हो गया। पूर्णियाँ का अतीत जितना गौरवमय है, वर्तमान उतना ही कष्टदायक है। अतीत की शांति, सरलता और स्वभाविकता से दूर वर्तमान पूर्णियाँ विकास की उन बिन्दुओं तक नहीं पहुँच पा रहा है, जहाँ से यहाँ की बेरोजगारी, गरीबी, शोषण और वैमनस्यता खत्म होने की राह निकाले।

पूर्णियाँ देश की सार्वधिक पुराने जिलों में से एक है। खुद इस जिले की नगरपालिका ही 1864 में स्थापित हुई थी जिसमें 28 और वर्तमान में 46 वार्ड हैं। कोसी नदी के पूर्वी हिस्से में बसे इस जिले में महानंदा भी सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। इस कोसी अंचल की मिट्टी को विशेषज्ञ अत्यधिक उपजाऊ मानते हुए इसका पी. एच. (तकनीकी शब्द) 6.5 एवं 7.5 बताते हैं। यहाँ की बलुआही भूमि को सिर्फ कोसी ही सींचने की क्षमता रखती है बशर्ते यहाँ की तमाम नहरों से बालू का जमाव खत्म कर दिया जाये। यहाँ की मिट्टी में बस एक ही गड़बड़ी है— जोताई के 15 दिनों में ही घास उग जाना यहाँ पानी में लोहे की अधिकता और आयोडिन की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके चलते घेघा और फाइलेरिया यहाँ की मुख्य बीमारी है। कभी मलेरिया समेत इन्हीं बीमारियों के लिए इसे "काला पानी" भी कहा जाता था। हालांकि यहाँ का पानी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभ दायक माना जाता है।

पूर्णिमाँ की यह धरती ऐतिहासिक हीं, नहीं साहित्य और संस्कृति दृष्टिकोण से भी काफी उर्वरा रही है। महाभारत काल से लेकर स्वतंत्रयेत्तर काल तक देश के बनते-बिगड़ते इतिहास में भी पूर्णिमाँ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूर्णिमाँ सीटी में माँ पूरण देवी मंदिर, सौरा नदी के तट पर स्थित काली मंदिर, बाबा छटीनाथ का पुजा-स्थल जहाँ आस्था के केन्द्र हैं वहीं रानीपतरा का सर्वोदय आश्रय, देश की आजादी के लिए शहीदों के स्मारक आदि गौरवपूर्ण निशानी है। कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु ने पूर्णिमाँ को विश्व के साहित्यिक मानचित्र पर खड़ा किया। पूर्णिमाँ का अतीत गौरवशाली है।

पूर्णाण्य अथवा पूर्वारण्यक या पुरैनिया जिला देश के प्राचीनतम जिलों में से एक है। इस जिले का काल खंड करीब 230 साल पुराना है। इसके पूर्णिमाँ नामकरण को लेकर कई धारणायें हैं। इनमें तर्क संगत तीन धारणाएँ हैं। आज भी पुराने और घने वृक्षों से इनका आच्छादित होना भी एक धारणा है। कभी यह इन्हीं वनों के कारण पूर्णाण्य पूर्ण-अण्य से जाना जाता था। यह पूरा क्षेत्र ही वनों से घिरा हुआ है। पूर्णिमाँ इसी पूर्णाण्य का बदला हुआ रूप माना जाता है।

संदर्भ

1. बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, पूर्णिमाँ पृ. 19
2. कम्प्रीहेन्सिभ हिस्ट्री ऑफ बिहार पृ. 282
3. मिथिला का इतिहास पृ. 119-20

Harendra Kumar Singh

शोध निर्देशक का हस्ताक्षर

प्रभात कुमार सिंह

शोधार्थी का हस्ताक्षर

पूर्णिमाँ विश्वविद्यालय पूर्णिमाँ, बिहार
समाज विज्ञान संकाय (इतिहास विभाग)
कार्य विवरण : 06
षष्ठम् प्रगति रिपोर्ट

शोध छात्रा का नाम	:	प्रभात कुमार सिंह
निबंधन संख्या	:	PHDPU20HIS02
पंजीकरण की प्रभावी तिथि	:	18/03/2020
पर्यवेक्षक का नाम	:	डॉ० हरेन्द्र कुमार सिंह
शोध का विषय	:	स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पूर्णिमाँ जिला का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का अध्ययन (1947-2020)

समयावधि : जुलाई 2022 से अक्टूबर 2022

इस अवधि में मैंने शोध कार्य के षष्ठम् अध्याय 'उपसंहार' को आरंभ किया। भारत ने स्वाधीन होते ही पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए योजनाबद्ध आर्थिक विकास की राह पकड़ी। ग्रामीण विकास हेतु अनेक प्रकार की योजनाएँ एवं कार्यक्रमों का निर्माण कर दनका क्रियान्वयन किया गया, परन्तु लक्ष्यों की प्राप्ति का दृष्टि से समीक्षा करने पर स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाये गये गरीबी निवारण बेरोजगारी उन्मूलन दोनों ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण पहलू हैं। आज हम ग्रामीण बेरोजगार युवकों को पर्याप्त रूप से लाभदायक रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाये

है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भूमिहीन श्रमिकों के रोजगार के दिनों की संख्या में गिरावट के साथ साथ वास्तविक मजदुरी में भी गिरावट आयी है। विकास कार्यक्रमों में छोटे कृषकों को आवश्यक महत्त्व नहीं मिला फलस्वरूप इनकी जोतें छोटी होती चली गयीं। काश्तकारी के स्वरूप एवं उससे सम्बद्ध समस्याओं ने जोर पकड़ा है। विज्ञान, तकनीकी एवं औद्योगीकरण के यथोचित लाभ अभी तक समस्त ग्रामीणों को प्राप्त नहीं हुए हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम कुछ मामलों में पूर्ण रूप से असफल रहे हैं क्योंकि कहीं-कहीं इन सारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिला जिनके लिए ये बनायीं गयी थीं, अपितु उनको बिचौलिये बीच में ही हड़प गये। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में चालिस प्रतिशत आज भी ग्रामीण इलाकों में अवस्थित हैं। ग्रामीण इलाकों में अवस्थित है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने 7 जुलाई, 1988 को कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा था, “गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर सरकार द्वारा आवंटित किए गये 6 रूपये में से मात्र एक रूपया ही सम्बन्धित व्यक्ति तक पहुँचता है और शेष राशि उन बिचौलियों द्वारा हथिया ली जाती है जो गरीबों की सहायता के लिए निर्मित आधारभूत ढाँचे की व्यवस्था करने का स्वांग रच रहे हैं या उनकी मदद का दम भरते हैं।” यद्यपि ग्रामीण विकास का बीड़ा उठाना काफी जटील काम है फिर भी इसको सही ढंग से लागु करने पर इसके समुचित लाभ मिल सकते हैं। ग्रामीण विकास की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टुबर, 1959 को पंचायती राज का श्रीगणेश करते हुए अपने भाषण में कहा था, “लाखों गाँवों के स्तर को ऊँचाँ उठाना कोई आसान काम नहीं है।.....धीमी प्रगति का कारण सरकारी तंत्र पर हमारी निर्भरता है।

शायद एक अधिकारी आवश्यक है क्योंकि वह एक विशेषज्ञ है, लेकिन वह काम तभी संभव है जब लोग स्वयं अपने हाथ में जिम्मेदारी लें.....।

वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से लेकर जवाहर रोजगार कार्यक्रम तक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 1959 में पंचायती राज प्रणाली, 1965 में उन्नत बीज कार्यक्रम, 1969 में लघु कृषक विकास कार्यक्रम, 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1977 में अन्योदय योजना, 1977 में 'काम के बदले अनाज' 1978 में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, 1983 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा 1989 में जवाहर रोजगार कार्यक्रम आदि भारत में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की तस्वीर दिखाते हैं। इन कार्यक्रमों के लक्ष्यों को उचित सीान, व्यक्ति तक नहीं पहुँचाये जा सकने के पिछे अनेकानेक समस्याएँ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को आज भी अनेक महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ नहीं हो पाई हैं। पूर्णिया जिला के संदर्भ में प्रमुख रूप से समस्याएँ निम्नलिखित हैं-

1. आर्थिक असमानता : आय की असमानता (Economic Disparity : Income Inequality)- ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम की समस्याओं के पिछे एक प्रमुख समस्या यहाँ के इलाकों में आर्थिक असमानता का बड़ी मात्रा में विद्यमान होना है। यद्यपि आर्थिक असमानता ग्रामीण क्षेत्र के तुलना में शहरी क्षेत्र मे अधिक है, तथापि ग्रामीण आर्थिक असमानता आर्थिक विकास में कम बाधक है। देश में निम्न स्तरीय 10 प्रतिशत लोगो के पास मात्र 2 प्रतिशत सम्पत्ति विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न स्तरीय 20 प्रतिशत लोगों के पास 9 प्रतिशत सम्पत्ति है। आय और सम्पत्ति की अधिक मात्रा में असमानता रहने से ग्रामीण विकास कार्यक्रम उचित ढग से संचालित नहीं हो पाते हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण जनता की भागीदारी के बिना सफल हो पायेंगे, इसमें संदेह बना

हुआ है। चूँकि बड़ी मात्रा में आय की असमानता होने से ग्रामीण क्षेत्रों में नीचे तबके के व्यक्ति इन कार्यक्रमों से अनभिज्ञ होने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की जोखिम से डरता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े लोग महाजन अथवा साहुकार इन कार्यक्रमों को अपने पक्ष में बनाकर पूरे का पूरा लाभ स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार आय या सम्पत्ति की असमानता ग्रामीण विकास में एक प्रमुख बाधक कारक है। पूर्णिया जिला में कृषि व्यवस्था के दृष्टिकोण से यह एक प्रमुख समस्या है।

2. ग्रामीण निर्धनता एवं भ्रष्टाचार की समस्या - ग्रामीण विकास की दूसरी मुख्य समस्या ग्रामीण निर्धनता का विराट रूप में विद्यमान होना है। देश में आज भी करोड़ों की संख्या में जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही हैं। वर्ष 1989-90 में, 28.2 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे विद्यमान थी। यद्यपि देश में निर्धनता के आँकड़े, इसमें कमी को दिखाते हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या एवं वास्तविक स्थिति का विवेचन करने पर ये आँकड़े मिथ्या साबित होते हैं। बड़ी मात्रा में ग्रामीण निर्धनता के व्याप्त होने से ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सब तक पहुँच पाना अपने आप में एक समस्या है। निर्धनतम लोगों की मूल आवश्यकता, रोटी, कपड़ा और आवास है। यदि सरकार यह सोचकर उनको आर्थिक सहायता दे कि वे इसे उत्पादक कार्यों में खर्च करेंगे तो यह कोरी कल्पना मात्र है क्योंकि उन व्यक्तियों की प्राथमिक आवश्यकता भोजन है अतः वे इस धनराशि को दैनिक उपभोग के कार्यों में खर्च करके अपनी मुलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे अतः ग्रामीण विकास के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में विनियोग करने हेतु संसाधनों की पर्याप्त कमी रहती है। जब राजनीतिज्ञों प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार एवं घोटाले का बोलबाला हो तो विकास की चिंता कम, व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है। बिहार में भी सार्वजनिक साधनों की लूट

का माहौल बन गया है। धूस, लूट-खसोट की संस्कृत बन गई है। आसानी से संपत्ति एकत्र करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। राजनेता अधिकारियों- ठेकेदार एवं अपराधी का गठजोड़ बन गया है। राज्य में अनेक घोटाले सामने आए हैं। चारा घोटाला (950 से 1054 करोड़ संभावित घोटाला) अलकतरा घोटाले तथा बाढ़ राहत घोटाला (43 कोड़ रुपये) इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जो राशि उद्योगों के विकास पर खर्च होना चाहिए था वे रशि दलाले, ठिकेदारों, भ्रष्ट कर्मचारियों, अधिकारियों के हाथ में चला जाता है और किसान गरीब का गरीब रह जाता है।

कृषि विभाग की फाइल में हुई परबल की खेती, जाँख तक मिले कदू और करैले। कटिहार जिला के दो प्रखंडो मनहारी एवं प्राणपुर प्रखण्ड वित्तीय वर्ष 2008-09 के कृषि विभाग की फाइल में परवल की खेती जाँच में मिले कदु और करैले।'

बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जो सबसे बड़ी समस्याएँ राज्य एवं जिला के सामने उपस्थित है।

ग्रामीण बेरोजगारी तथा कुशल एवं प्रशिक्षित मानव शक्ति का आभाव - ग्रामीण क्षेत्रों बेरोजगारी विस्तृत रूप से विद्यमान है। इसमें भी छिपी हुई बेरोजगारी अधिक मात्रा में व्याप्त है। कृषि कार्यों तथा उसकी सहायक क्रियाओं में आवश्यकता से अधिक श्रमशक्ति कार्यरत रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में पूरा परिवार सामान्यतः कृषि कार्यों में संलग्न रहता है। कृषि भूमि चाहे कम हो या ज्यादा, परिवार का प्रत्येक सदस्य प्रायः कृषि कार्यों में लगा रहता है। इसके कारण उनकी उन्पादकता शून्य या कभी-कभी ऋणात्मक भी हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवश्यकता से अधिक सदस्यों का निर्भर रहना छिपी हुई बेरोजगारी को दर्शाता है। यह इस तथ्य को उजागर करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की कमी है। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन क्षेत्रों में उद्योग-धंधों कि

स्थापना करना जरूरी हो जाता है। बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार देने के लिए कृषि पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। गाँव के हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना एक दुष्कर कार्य है। इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने से पूर्व पर्याप्त मात्रा में अवसरंचनात्मक विकास करना जरूरी होता है।

Harendra Kumar Singh

शोध निर्देशक का हस्ताक्षर

प्रभात कुमार सिंह

शोधार्थी का हस्ताक्षर